



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239415
CG-DL-E-07102022-239415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4530]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944

No. 4530]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4740(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3327 (अ) दिनांक 21 जुलाई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (नागौर मानासर फाटक पर आरओबी लेवल क्रॉसिंग संख्या. 64) पर कि.मी. 172/990 (स्ट्रेच कि.मी. 172/346 से कि.मी. 173/519 तक) के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 जुलाई, 2022" को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -65 (नागौर मानासर फाटक पर आरओबी लेवल क्रॉसिंग संख्या. 64) पर कि.मी. 172/990 (स्ट्रेच कि.मी. 172/346 से कि.मी. 173/519 तक) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: नागौर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नागौर				
	गांव का नाम: नागौर				
1	361/853	सरकारी	गै.मुं.आबादी	0.006571	वास नगर परिषद नागौर के खाते में दर्ज है (361/853)
			कुल	0.006571	

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4740(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 3327(E), dated 21st July 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of ROB and its approaches in lieu of existing Level Crossing C-64 at Nagaur City (Manasar Phatak) at K.m. 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) on NH-65 in the District of Nagaur the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Rajasthan Patrika**” and “**Dainik Bhaskar**” both dated **26 July 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on National Highway
No. 65 Construction of 2 Lane ROB and its approaches in lieu of existing level crossing C-64 at
Nagaur City (Manasar Phatak) at Km. 172.990 (stretch Km. 172.346 to Km. 173.519) on NH-65 in the
State of Rajasthan.**

State: RAJASTHAN			District: NAGOUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nagaur				
	Village: Nagaur				
1	361/853	Government	Gai.Mu. Aabadi	0.006571	Residence registered in the account of Nagar Parishad Nagaur 361/853
			TOTAL	0.006571	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2022-23/01/3D]

RAJESH GUPTA, Director